न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

रामसींग तनय स्व0 श्री कालूराम खंगार

निबासी ग्राम बूड़ाखेरा, तहसील बंडा, जिला सागर म0प्र0

.............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार बंडा, जिला सागर

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर, द्वारा प्र0क0 599/अ–56/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22/08/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायाल को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक ग्राम बूढ़ाखेरा, तहसील बंडा, जिला सागर में चौकीदार/कोटवार के पद पर पदस्थ होकर अपने पदीय कर्तब्यों का निर्वहल भलि भांति तरीके से करता चला आ रहा था, कि जिसके कार्यप्रणाली के संबंध में ग्राम के किसी भी ब्यक्ति द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी।

3– यह कि उपरोक्त ग्राम बड़ा होने के कारण ग्राम वुड़ाखेड़ा में दो कोटवार हैं। दूसरा कोटवार भगोला चढ़ार है, जिसकी आयु 75 साल की है । आज भी वह अपने पद पर कार्य कर रहा है, आवेदक से उसकी आयु करीब 15 साल अधिक है।

4– यह कि ग्राम में यज्ञ होना था, जिसमें शामिल होने वाद आवेदक द्वारा भी 5100/– रूपया चंदा दिया गया था। जिसके उपरांत यज्ञ दिनांक को सरपंच पति एवं सचिव द्वारा अन्य ग्राम वासियों द्वारा आरोप लगाने पर हरिजन जाति का होने के कारण आवेदक को यज्ञ में नहीं बैठने दिया तथा जातिगत अपमान किया। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा कलेक्टर व अन्य अधिकारियों से करने पर उनके बिरूद्व कोइ कार्यवाही न करके आवेदक के बिरूद्व ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित करके तहसीलदार के समक्ष

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3504 /I /2016 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रामसींग खंगार वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-10-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 599/अ–56/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22/08/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि , आवेदक ग्राम बूढ़ाखेरा, तहसील बंडा, जिला सागर में कोटवार के पद पर पदस्थ होकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भलिभांति तरीके से करता चला आ रहा था, कि जिसके कार्यप्रणाली के संबंध में ग्राम के किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी। ग्राम के सरपंच एवं सचिव द्वारा दुर्भावनावश एक प्रस्ताव तहसीलदार बंडा, जिला सागर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि, आवेदक की आयु 62 साल से अधिक है, आवेदक द्वारा ग्राम में मुनादी नहीं की जाती, आवेदक द्वारा भैयालाल आदिवासी के घर पर कब्जा कर लिया है, आवेदक एवं उसके पुत्र गांव बालों को गालियां देते हैं आदि आदि । जिसके आधार पर तहसीलदार बंडा द्वारा प्र0क0 01/अ–56/2011–12 पंजीबद्व करके अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/10/2012 के द्वारा आवेदक को मात्र इस आधार पर पद से पृथक कर दिया कि, आवेदक की आयु 62 साल से अधिक है। जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कीं गई, जो उनके द्वारा निरस्त कर दीं गईं। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्ययालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया कि ग्राम बड़ा होने के कारण ग्राम बूड़ाखेड़ा में दो कोटवार हैं। दूसरा कोटवार भगोला चढ़ार है, जिसकी आयु प्रस्ताव दिनांक को 70	

साल की थी। आज भी वह अपने पद पर कार्य कर रहा है, उसके संबंध में प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। आवेदक से उसकी आयु करीब 15 साल अधिक है। यह भी बताया कि ग्राम में यज्ञ होना था, जिसमें शामिल होने वावद आवेदक द्वारा भी 5100/– रूपया चंदा दिया गया था। जिसके उपरांत यज्ञ दिनांक को सरपंच पति एवं सचिव द्वारा अन्य ग्राम वासियों द्वारा आरोप लगाने पर आवेदक को हरिजन जाति का होने के कारण आवेदक को यज्ञ में नहीं बैठने दिया गया तथा जातिगत अपमान किया गया। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा कलेक्टर, एस0 पी0 व अन्य अधिकारियों से करने पर उनके बिरूद्व कोई कार्यवाही न करके आवेदक के बिरूद्व ग्राम सभा में दुर्भावना वश प्रस्ताव पारित किया गया है।

3– मैंने अधिनस्थ बिचारण न्यायालय तहसीलदार बंडा के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04/10/2012 का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार द्वारा मात्र एक आधार पर आवेदक को पद से पृथक किया है कि, आवेदक की आयु 62 साल है, शेष समस्त आरोपों में दोषी नहीं माना है। जिस कारण से आवेदक का ग्राम बूढ़ाखेरा के कोटवार के पद पर बना रहना संभव नहीं है।

4– ग्राम कोटवार की नियुक्ति संहिता की धारा 230 के अधीन की गई है, उपरोक्त धारा में कहीं भी कोटवार की अधिकतम आयु कितनी होना चाहिये, प्रावधानित नहीं किया गया है। आवेदक की आयु की गणना तहसीलदार द्वारा बर्ष 2011–2012 की वोटर सूची में लेख आवेदक की आयु तथा थाना बंडा के अपराध कमांक 260/01, नकल जरायम रजिस्टर के आधार पर की गई है। जबकि दोंनों दस्तावेज आयु निर्धारित करने के लिये अधिकृत/निर्धारित दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि वोटर सूची से आयु की गणना करने का कोई निश्चायक आधार नहीं है ना ही वोटर सूची में आयु किसी अधिकृत आयु के दस्तावेज के आधार पर दर्ज की जाती है। जहां तक थाना बंडा के जरायम रजिस्टर अपराध कमांक 260/1 का प्रश्न है, उपरोक्त प्रकरण में आवेदक की शिकायत थोबन पिता गोरेलाल राय द्वारा की गई है। जिसमें अपराधी/आवेदक के नाम के आगे थोबन द्वारा ही आयु 53 साल लिखाई गई है, जो भी आयु की गणना करने का सही आधार एवं मान्य दस्तावेज नहीं है। क्योंकि वह आयु ना तो आवेदक द्वारा लिखाई गई है ना ही किसी अधिकृत दस्तावेज के आधार पर लिखाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का मेडीकल वोर्ड से डॉक्टरी परीक्षण भी शारीरिक सक्षमता के संबंध में नहीं कराया गया है। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा 1999 रानि 232 में स्पष्ट ब्यवस्था प्रदान की गई है कि – "कोटवार की आयु जन्म और मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम 1969 के अधीन जारी प्रमाण पत्र से अभिनिर्धारित की जा सकती है, विद्यालय पंजी में सामान्यतः सही आयु अभिलिखित नहीं होती

है।'' उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को पद से पृथक करना विधि विरूद्व है।

5– आवेदक की ओर से ग्राम के ही अन्य कोटवार, भगोला तनय चेतू चढ़ार का शासकीय विद्यालय का जन्म तिथि प्रमाण पत्र दिनांकित 10/12/2014 प्रस्तुत किया है, जिसमें उसकी आयु 27/11/1945 लेख है। जिसके अनुसार उसकी आयु प्रस्ताव दिनांक 26/01/2012 को 67 बर्ष थी । उसके संबंध में प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के बिरूद्व दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही करके प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसके आधार पर पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया विहीन होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उसके आधार पर दोंनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बंडा द्वारा प्र0क0 01/अ–56/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 04/10/2012 एवं उसके आधार पर पारित अन्य अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं। आवेदक को पूर्ववत ग्राम बूड़ाखेरा में कोटवार के पद पर पदस्थ किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य